न्यायमूर्ति विकास बहल के समक्ष ।

सुल्तान सिंह- *याचिकाकर्ता*

बनाम

तेज प्रताप - ***उत्तरवादी***

2021 सी-आर-एम-एम नंबर 39414

21 सितंबर, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 - एस 6, 13, 118, 138 और 142 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - एस 420 - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 - धारा 2, 10, 23, 25 से 30 - परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 18 और 29 के तहत याचिका भारतीय दंड सहिंता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138/148 के साथ 420 आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए दायर किया - याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पैसा 04.08.2015 को उधार लिया गया था जबकि चेक 02.08.2019 को जारी किया गया था - चेक जारी करने की तारीख को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं था - होल्डिंग - एक ऋण जो समयबद्ध हो गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) की सामग्री को पूरा करने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। इसे जारी करने वाला व्यक्ति अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के दायरे में आएगा ताकि चेक तैयार होने की तारीख पर ऋण को कानूनी रूप से लागू किया जा सके - आगे कहा गया है - परिसीमा अधिनियम की धारा 18 में गैर-बाध्यकारी खंड नहीं है - बल्कि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (1) विशेष रूप से प्रावधान करती है कि परिसीमा अधिनियम में कुछ भी अनुबंध अधिनियम की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगा - याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि, अनुबंध अधिनियम की धारा 2, 10, 23 और 25 से 30 के संयुक्त पाठ से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जब कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो यह एक वादा बन जाता है, और कुछ करने का वादा एक समझौता होगा, और कानून में लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है और जो लागू करने योग्य नहीं है वह शून्य हो जाएगा। अनुबंध अधिनियम के तहत, शून्य समझौतों की कई श्रेणियां हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत, यदि किसी समझौते का विचार या उद्देश्य कानून द्वारा निषिद्ध है या अनैतिक है, तो उस कारण से समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 26 के तहत, नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह को रोकने में हर समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 27 व्यापार के संयम में समझौते और उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत वे शून्य होंगे। अनुबंध अधिनियम की धारा 29 अनिश्चितता के लिए शून्य समझौतों से संबंधित है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) विशेष रूप से समयबद्ध ऋण के प्रवर्तन पर रोक के संबंध में एक अपवाद प्रदान करती है। उक्त धारा 25(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक वादा जो लिखित रूप में किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, उस पर पूरी

तरह से या आंशिक रूप से ऋण का भुगतान करने का आरोप लगाया गया है, जिसे सीमा के कानून के कारण लागू नहीं किया जा सकता था, लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के आधार पर, एक ऋण जो समयबद्ध हो गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) की सामग्री को पूरा करने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। चेक के मामले में, चेक का ड्रॉअर वास्तव में उस व्यक्ति से यह वचन देता है जिसके पक्ष में चेक निकाला जाता है कि प्रस्तुति होने पर, उसका सम्मान किया जाएगा और जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया गया है, उसे चेक में उल्लिखित नकद राशि का लाभ मिलेगा। इस प्रकार, लिखित में एक चेक, जिस पर इसे जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के दायरे में आएंगे ताकि चेक तैयार होने की तारीख पर ऋण को कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार, यहां तक कि यदि चेक तैयार किया गया है, उस तारीख के बाद भी जब ऋण समयबद्ध हो गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त चेक अपने आप में एक वादा करेगा जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध बन जाएगा और तब यह नहीं कहा जा सकता है कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में तैयार किया गया है, जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य न हो ।

(पैरा 25)

इसके अलावा, परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत वैध होने की पावती सीमा की अवधि की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए, जबकि, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत ऋण का भुगतान करने का वादा, ऋण की समय-सीमा समाप्त होने के बाद किया जा सकता है।

(पैरा 26)

इसके अलावा, परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अवलोकन से भी पता चलेगा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधान को बाहर करने के लिए न तो इसमें एक गैर-बाध्यकारी खंड है, न ही किसी नकारात्मक शब्दावली का उपयोग किया गया है।

(पैरा 27)

इसके अलावा, एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फैसला करना, जिसने ऋण की समय-सीमा समाप्त होने के बाद जानबूझकर चेक जारी किया है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय करने के समान होगा जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है और यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के इरादे और उद्देश्य को भी विफल कर देगा। ऋण की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, उसके बाद चेक जारी करने वाला कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति से वादा करता है जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है, कि उक्त चेक का सम्मान किया जाएगा। अनादरण होने पर, जिस व्यक्ति को चेक जारी किया गया है, उसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उपाय को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा। जब तक समन जारी करने का आदेश आदि जारी किया जाता और आरोपी व्यक्ति द्वारा मामले को उत्तेजित किया

जाता, तब तक काफी समय बीत चुका होता। ऐसी स्थिति में, यदि प्रस्ताव आरोपी व्यक्ति के पक्ष में दिया जाता है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को केवल सीमा की दलील के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया गया है, वह निराश हो जाएगा। इसके अलावा, यदि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति का अनुचित लाभ होगा, जिसने उक्त चेक जारी करके झूठे वादे पर मामले को लटकाने का आग्रह किया है।

(पैरा 30)

इसके अलावा, यह न्यायालय निर्णायक रूप से मानता है कि समयबद्ध ऋण के पुनर्भुगतान में चेक जारी करना अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर उक्त ऋण का भुगतान करने के लिए एक लिखित वादा है और उक्त वादा अपने आप में कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता पैदा करेगा, जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 द्वारा विचार किया गया है।

(पैरा 31)

याचिकाकर्ता की ओर से एम-एस-कथूरिया, वकील।

<u>न्यायमूर्ति विकास बहल, (मौखिक)</u>

(1) यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 के तहत एक याचिका है, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'परक्राम्य लिखत अधिनियम') की खंडओं के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिसे भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के साथ पढ़ा जाता है, जिसका शीर्षक "तेज प्रताप बनाम सुल्तान सिंह" है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र के न्यायालय में लंबित है, साथ ही साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित 06.09.2019 दिनांकित समन आदेश और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी तेज प्रताप ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ 02.08.2019 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गांव उमरी, जिला कुरुक्षेत्र पर 4 लाख रुपये की राशि के लिए 811255 नंबर के चेक के अनादर के कारण उपरोक्त शिकायत दर्ज की थी। उक्त शिकायत दर्ज होने के बाद, शिकायतकर्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और खुद को सीडब्ल्यू -1 के रूप में परीक्षण किया और सबूत के रूप में अपना हलफनामा प्रदर्श.सीडब्ल्यू 1/ए और दस्तावेज प्रदर्श.सी1 से सी6 तक प्रस्तुत किए। इस पर विचार करने के बाद, दिनांक 06.09.2019 के आदेश के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र ने आक्षेपित समन आदेश पारित किया। उसी से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने समन आदेश और शिकायत को चुनौती देने के लिए मुख्य रूप से दो तर्क दिए हैं।

(4) याचिकाकर्ता के वकील का पहला तर्क यह है कि वर्तमान मामले में, चेक जारी करने की तारीख पर कोई "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण" नहीं था, जितना कि चेक 02.08.2019 को जारी किया गया था, जबकि उक्त राशि 04.08.2015 को उधार ली गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि राशि की वसूली को सीमा के कानून द्वारा रोक दिया गया था और इस प्रकार, सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद चेक जारी करने से सीमा की अवधि का विस्तार / नवीनीकरण नहीं होगा। इस प्रकार, चेक जारी करने की तारीख पर, कोई नहीं था "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण". उक्त तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 20.01.1997 के फैसले पर भरोसा किया है, जो ***गिरधारी लाल राठी*** बनाम ***पी.टी.वी. रामानुजचारी और अनर***[1] *में पारित किया गया था।* ***1998 की आपराधिक अपील संख्या 29 दिनांक 05.02.1999 में गोवा स्थित बंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों*** *का शीर्षक श्रीमती अश्विनी सतीश भट* ***बनाम श्री जीवन दिवाकर और 2006 का एक अन्य*** और आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 3 था, जिसका शीर्षक श्री ***नरेंद्र कनेकर*** *बनाम* ***बर्देज-तालुका सहकारी था। हाउसिंग मॉर्गेज सोसाइटी लिमिटेड और अन्य।***

(5) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस याचिकाकर्ता को विधिवत रूप से नहीं दिया गया था और इसके लिए, अनुबंध पी -3 का संदर्भ दिया गया है, जिसे प्रदर्श.सी5 कहा गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने 2017 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 438 दिनांक 01.07.2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक ***आरएल वर्मा एंड संस (एचयूएफ)*** *बनाम* ***पीसी शर्मा है***।

(6) इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील को सुना है और फाइल का अध्ययन किया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का पहला तर्क क्या है?

चूंकि चेक जारी करने की तारीख पर कोई "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण" नहीं था, इसलिए शिकायत और समन आदेश को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त तर्क का उत्तर देने के लिए, निम्नलिखित मुद्दे उठेंगे और इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी:

१) क्या समयबद्ध ऋण के पुनर्भुगतान के लिए चेक जारी करना भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर उक्त ऋण का भुगतान करने का लिखित वादा होगा?

[1] 1997 (1) एएलटी सीआरआई 509

२) यदि पहले प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति के पक्ष में है जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है, तो क्या उक्त वादा, अपने आप में, कोई "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण" पैदा करेगा, जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 में कहा गया है?

३) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य होगी?

४) क्या वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम रहा है कि सीमा की अवधि का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि चेक सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद जारी किया गया था?

<u>मुद्दों पर विचार (i) और (ii):</u>

(8) मुद्दे सांख्य (i) और (ii) अत्यधिक महत्व के मुद्दे हैं और बड़ी संख्या में मामलों में शामिल हैं और इस प्रकार विस्तार से निपटाए जा रहे हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "संविदा अधिनियम"), निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (संक्षेप में, "निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट") और परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, "परिसीमा अधिनियम") पहले दो मुद्दों के व्यापक विचार के लिए प्रासंगिक होंगे।

(9) संविदा अधिनियम की धारा 2 और धारा 25 को नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

"2. व्याख्या खंड। - इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो: -

(अ) जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो इस तरह के कार्य या संयम के लिए उस दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से, उसे एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है;

(आ) जब वह व्यक्ति जिसके पास प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर अपनी सहमति का संकेत देता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। एक प्रस्ताव, जब स्वीकार किया जाता है, तो एक वादा बन जाता है;

(इ) प्रस्ताव बनाने वाले व्यक्ति को "प्रोमिसर" कहा जाता है, और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को "प्रॉमिसर" कहा जाता है;

(ई) जब, प्रोमिसर की इच्छा पर, वादा करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ किया है या करने से रोक दिया है या नहीं किया है या करने से परहेज किया है, या करने या करने से परहेज किया है, या करने या करने से परहेज करने का वादा किया है, तो कुछ, ऐसा कार्य या संयम या वादा वादे को वादे के लिए विचार कहा जाता है;

(उ) हर वादा और वादों का हर सेट, एक-दूसरे के लिए विचार करना, एक समझौता है;

(ऊ) वादे जो एक दूसरे के लिए विचार या विचार का हिस्सा बनते हैं, उन्हें पारस्परिक वादे कहा जाता है;

(ऋ) एक समझौता जो कानून द्वारा लागू नहीं किया जाता है उसे शून्य कहा जाता है;

(ऌ) कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता एक अनुबंध है;

(ऍ) एक समझौता जो कानून द्वारा एक या अधिक पार्टियों के विकल्प पर लागू करने योग्य है, लेकिन दूसरे या अन्य के विकल्प पर नहीं, एक शून्य अनुबंध है;

(ऎ) एक अनुबंध जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, तब शून्य हो जाता है जब यह लागू करने योग्य नहीं होता है। xx xx

"25. बिना विचार के समझौता, शून्य, जब तक कि यह लिखित और पंजीकृत न हो, या किए गए किसी काम की भरपाई करने का वादा न हो, या सीमा कानून द्वारा प्रतिबंधित ऋण का भुगतान करने का वादा न हो। - बिना किसी समझौते के किया गया समझौता विचार शून्य है, जब तक कि -

1) **यह लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है और [दस्तावेजों] के पंजीकरण के लिए कुछ समय के लिए कानून के तहत पंजीकृत होता है, और एक-दूसरे के निकट संबंध में खड़े पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया जाता है; या जब तक**

2) **यह एक ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने का वादा है, जिसने पहले से ही स्वेच्छा से प्रोमिसर के लिए कुछ किया है, या कुछ ऐसा जो प्रोमिसर कानूनी रूप से करने के लिए मजबूर था; या जब तक**

3) **यह एक वादा है, जो लिखित रूप में किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, या उसके एजेंट द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से उस संबंध में अधिकृत किया जाता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक ऋण का भुगतान करने के लिए, जिसमें से लेनदार ने भुगतान लागू किया हो सकता है, लेकिन मुकदमों की सीमा के लिए कानून के लिए। इनमें से किसी भी मामले में, ऐसा समझौता एक अनुबंध है।**

(10) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 6, 13, 118, 138 और 139 नीचे प्रस्तुत की गई हैं: -

"6. "चेक"। - "चेक" एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय का बिल है और मांग के अलावा अन्यथा देय होने के लिए व्यक्त नहीं किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कटे हुए चेक और चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि शामिल होती है।

स्पष्टीकरण I. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति - (ए) "इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक" का अर्थ है किसी भी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया गया चेक और डिजिटल हस्ताक्षर (बायोमेट्रिक्स हस्ताक्षर के साथ या बिना) और असममित

क्रिप्टो सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ एक सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित, जैसा भी मामला हो;

(ख) "कटा हुआ चेक" से ऐसा चेक अभिप्रेत है जो समाशोधन चक्र के दौरान, या तो समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा, चाहे भुगतान कर रहा हो या प्राप्त कर रहा हो, ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक छवि तैयार करने के तुरंत बाद, लिखित रूप में चेक के आगे के भौतिक संचलन को प्रतिस्थापित करते हुए काट दिया जाता है।

स्पष्टीकरण II. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "क्लियरिंग हाउस" शब्द का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित क्लियरिंग हाउस या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त क्लियरिंग हाउस है।

[स्पष्टीकरण III. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "असममित क्रिप्टो सिस्टम", "कंप्यूटर संसाधन", "डिजिटल हस्ताक्षर", "इलेक्ट्रॉनिक रूप" और "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें सूचना में सौंपे गए हैं।
प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21)। xxxx xx xx xx

"13. "नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट". [(1) "निगोशिएबल लिखत" का अर्थ है एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक जो या तो ऑर्डर करने या धारक को देय है।

स्पष्टीकरण (i) - एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक आदेश के लिए देय है जो इस प्रकार देय होने के लिए व्यक्त किया गया है या जिसे किसी विशेष व्यक्ति को देय होने के लिए व्यक्त किया गया है, और इसमें ऐसे शब्द शामिल नहीं हैं, जो हस्तांतरण को प्रतिबंधित करते हैं या इस आशय को इंगित करते हैं कि यह हस्तांतरणीय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण (ii) - एक वचन-पत्र, विनिमय बिल या चेक धारक को देय होता है जिसे इस प्रकार देय माना जाता है या जिस पर एकमात्र या अंतिम राशि रिक्त होती है।

स्पष्टीकरण (iii) - जहां एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक, या तो मूल रूप से या निर्देश द्वारा, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश के लिए देय होने के लिए व्यक्त किया जाता है, न कि उसे या उसके आदेश को, फिर भी यह उसके विकल्प पर उसे या उसके आदेश को देय होता है।

[(2) एक परक्राम्य लिखत को दो या दो से अधिक भुगतानकर्ताओं को संयुक्त रूप से देय बनाया जा सकता है, या इसे दो में से एक, या एक या कई भुगतानकर्ताओं में से कुछ के विकल्प में देय बनाया जा सकता है। xxxx xx xx xx

"118. परक्राम्य साधनों के बारे में अनुमान। - जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगे:

(क) विचार करना: कि प्रत्येक निगोशिएबल लिखत को विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था, और यह कि ऐसे प्रत्येक साधन, जब इसे स्वीकार किया गया हो, अनुमोदित

किया गया हो, बातचीत की गई हो या हस्तांतरित किया गया हो, को स्वीकार किया गया हो, अनुमोदित किया गया हो, बातचीत की गई हो या विचार के लिए हस्तांतरित किया गया हो;

(आ) आज तक: कि तारीख वाले हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऐसी तारीख पर बनाया या तैयार किया गया था;

(इ) स्वीकृति के समय के रूप में: कि विनिमय के प्रत्येक स्वीकृत बिल को इसकी तारीख के बाद और इसकी परिपक्वता से पहले उचित समय के भीतर स्वीकार किया गया था;

(ई) स्थानांतरण के समय के संबंध में: कि निगोशिएबल लिखत का प्रत्येक हस्तांतरण इसकी परिपक्वता से पहले किया गया था;

(उ) जहां तक आक्षेपों के क्रम का संबंध है: कि किसी परक्राम्य साधन पर दिखाई देने वाले आक्षेप उस क्रम में बनाए गए थे जिस क्रम में वे उस पर दिखाई देते हैं;

(ऊ) स्टांप के रूप में: कि एक खोए हुए वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक पर विधिवत मुहर लगाई गई थी;

(ऋ) वह धारक यथासमय धारक होता है: कि परक्राम्य लिखत का धारक नियत समय में धारक होता है: बशर्ते कि, जहां लिखत उसके वैध मालिक से, या वैध अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से, किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, या किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से निर्माता या स्वीकर्ता से प्राप्त किया गया हो, या गैरकानूनी विचार के लिए, यह साबित करने का बोझ कि धारक उचित समय में धारक है, उस पर है।

xxxx xx xx xx

"138. खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। - जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए उस खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए लिया गया कोई चेक बैंक द्वारा अवैतनिक रूप से वापस कर दिया जाता है, या तो इसलिए कि उस खाते के क्रेडिट में खड़ी राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उससे अधिक है। उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि की व्यवस्था की गई है, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के पूर्वाग्रह के बिना, कारावास से दंडित किया जाएगा [एक अवधि जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता ***है], या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, या दोनों के साथ :P है कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि -***

(अ) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(आ) आदाता या धारक चेक के नियत समय में, जैसा भी मामला हो, चेक के दराज को लिखित रूप में नोटिस देकर, चेक की वापसी के बारे में बैंक से उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर] उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और

(इ) ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में आदाता को या, जैसा भी मामला हो, उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

ख़ुलासा। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य देयता" का अर्थ कानूनी रूप से लागू ऋण या अन्य देयता है।

xxxx xx xx xx

"139. धारक के पक्ष में अनुमान। यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, कि चेक धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त किया, जो किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए है।

(11) परिसीमा अधिनियम की धारा 18 को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"18. लेखन में स्वीकृति का प्रभाव। –

(1) **जहां, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की पावती उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में की गई है, जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके माध्यम से वह अपना शीर्षक या दायित्व प्राप्त करता है, सीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे।**

(2) **जहां पावती वाले लेखन में अप्रकाशित है, मौखिक साक्ष्य उस समय के दिए जा सकते हैं जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधानों के अधीन, इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा।**

ख़ुलासा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(अ) एक पावती पर्याप्त हो सकती है हालांकि यह संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने से चूक जाती है, या यह बताती है कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद का समय अभी तक नहीं आया है या भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार करने के साथ है, या स्थापित करने के दावे के साथ युग्मित है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया जाता है,

(आ) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित, और

(इ) डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन को किसी भी संपत्ति या अधिकार के संबंध में एक आवेदन नहीं माना जाएगा।

(12) कानून के उपर्युक्त प्रावधानों पर कई निर्णयों में विचार किया गया है। कुछ निर्णयों में, उक्त सभी उपबंधों का व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और इस प्रकार, पहले दो मुद्दों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के बीच कुछ मतभेद हैं। दिनेश ***बी चोकशी*** *बनाम* ***राहुल वासुदेव भट***[2] नामक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 19.10.12 को दिए गए निर्णय में संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया है और उक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद उस व्यक्ति के पक्ष में राय दी है जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है। संविदा अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि संविदा अधिनियम की धारा 2 (ए) और 2 (बी) के संयुक्त पठन से पता चलेगा कि यदि कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो यह एक वादा बन जाता है और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) को ध्यान में रखते हुए, एक वादा या वादों का एक सेट, एक-दूसरे के लिए विचार करना, एक समझौता होगा। इसके अलावा, अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के खंड (जी) और (एच) के आधार पर, एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, शून्य हो जाएगा और जो समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य है उसे अनुबंध कहा जाता है। संविदा अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) में प्रावधान है कि जहां कोई संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। आगे यह देखा गया है कि जब भी भुगतान करने का वादा किया जाता है और इसका उल्लंघन होता है । प्रतिबद्ध, वसूली के लिए मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर दायर किया जाना है, जैसा कि परिसीमा के कानून के तहत निर्धारित किया गया है। संविदा अधिनियम की धारा 10 में यह भी प्रावधान है कि सभी करार संविदा हैं यदि वे सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, किसी विधिसम्मत उद्देश्य के साथ विधिसम्मत विचार के लिए किए गए हों और जिन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। संविदा अधिनियम, विशेषकर इसकी धारा 23 और 26 से 30 में विभिन्न प्रकार के करारों का प्रावधान है जो शून्य हैं। इस प्रकार, उन समझौतों के अलावा जो सीमा की सीमा के कारण लागू करने योग्य नहीं हैं, समझौतों की अन्य श्रेणियां हैं जो शून्य हैं और इस प्रकार, लागू करने योग्य नहीं हैं। उक्त निर्णय में संविदा अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया गया। यह देखा गया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) सामान्य नियम का अपवाद है कि विचार किए बिना किया गया समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 3 के तहत कवर किया गया वादा एक प्रवर्तनीय समझौता बन जाएगा, भले ही यह ऋण का भुगतान करने का वादा था जो पहले से ही सीमा के कानून द्वारा

---

[2] 2013 (5) आरसीआर (सिविल) 598

प्रतिबंधित है। इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) लिखित में किए गए वादे पर लागू होगी, जो किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षरित है, जिसे वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के कारण पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि कोई देनदार सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद लिखित रूप में एक वादा करता है, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, ऋण का भुगतान करने के लिए, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उक्त वादा एक समझौता बन जाता है, जो कानून में लागू करने योग्य है। संविदा अधिनियम की धारा 25(3) में उल्लिखित सामग्री को पूरा किए जाने की स्थिति में समयबद्ध ऋण प्रवर्तनीय बनाया जाएगा। उक्त उप-धारा ऋणों की अन्य श्रेणियों पर लागू नहीं होगी जो कानून में लागू करने योग्य नहीं हैं और केवल ऐसे ऋण पर लागू होते हैं जो इस आधार पर कानून में वसूली योग्य नहीं है कि इसे सीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वादे के तहत, एक राशि अनैतिक उद्देश्यों के लिए अग्रिम की जाती है, तो वह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रभावित होगी और धारा 25 (3) के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं की जाएगी। उक्त फैसले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों पर भी विस्तार से विचार किया गया। यह देखा गया कि एक चेक, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 13 के अनुसार एक कानूनी साधन है, को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 6 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, चेक एक विनिमय बिल है जो एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया जाता है और मांग के अलावा अन्यथा देय नहीं होने के लिए व्यक्त किया जाता है। ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** *बनाम* ***सीमा मल्होत्रा और अन्य***[3] नामक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि चेक की दराज उस व्यक्ति से वादा करती है जिसके पक्ष में चेक निकाला गया है, कि चेक, प्रस्तुति पर, नकद में राशि प्राप्त करेगा, जैसा कि चेक में उल्लेख किया गया है और इस प्रकार, जब उक्त चेक अनादरित होकर लौटा दिया जाता है, तो चेक जारी करने वाला व्यक्ति अपना वादा पूरा करने में विफल रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 13, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को परिभाषित करती है, पर भी विचार किया गया और यह देखा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में एक चेक भी शामिल है। इन सभी पर विचार करने के बाद, यह माना गया कि एक चेक अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर एक वादा है। ऐसा वादा एक समझौता है और सामान्य नियम का अपवाद है कि विचार के बिना एक समझौता शून्य है। इस प्रकार, हालांकि, चेक जारी करके ऐसा वादा करने की तारीख पर, जिस ऋण का भुगतान करने का वादा किया गया है, वह पहले से ही समय पर प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वादा / समझौता वैध होगा और लागू करने योग्य होगा। इस प्रकार, यह माना गया कि समयबद्ध ऋण के पुनर्भुगतान में चेक जारी करना अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर उक्त ऋण का भुगतान करने के लिए एक लिखित वादा होगा।

[3] 2001 (3) एससीसी 151

(बारह) इसके अलावा, इस सवाल के संबंध में कि क्या चेक जारी करके किया गया उक्त वादा अपने आप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण पैदा करेगा, डिवीजन बेंच ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118, 138 और 139 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। धारा 118 और 139 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह देखा गया कि धारा 118 के तहत, एक खंडन योग्य धारणा है कि प्रत्येक परक्राम्य साधन विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया है और धारा 139 चेक के धारक के पक्ष में एक खंडन योग्य धारणा बनाती है और उक्त धारणा यह है कि चेक धारक द्वारा किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त किया गया है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से। यह देखा गया कि ऋण या देनदारियों की कई श्रेणियां हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं और जो ऋण समयबद्ध हो गया है, उसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि समयबद्ध ऋण के निर्वहन के लिए एक चेक तैयार किया गया है, तो यह एक वादा बनाता है जो लागू करने योग्य हो जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चेक एक ऋण या देयता के निर्वहन में तैयार किया गया है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। दिनेश ***बी. चोकशी*** के *मामले (सुप्रा)* के मामले में उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: -

"23 दिसंबर, 2008 के फैसले और आदेश के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश, माननीय प्रमुख न्यायमूर्ति ने प्रशासनिक पक्ष पर एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि इन मामलों को एक खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। तदनुसार, इन आवेदनों को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

2. खंड पीठ का संदर्भ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने 23 दिसंबर, 2008 के निर्णय और आदेश के तहत तैयार किए गए दो प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए है। उक्त दो प्रश्न हैं:-

"(i) क्या समयबद्ध ऋण के पुनर्भुगतान में चेक जारी करना भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर उक्त ऋण का भुगतान करने के लिए लिखित वादा है?

(ii) यदि यह इस तरह के वादे के बराबर है, तो क्या ऐसा वादा, अपने आप में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 द्वारा विचार किए गए अनुसार कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता पैदा करता है?

xxxx xx xx

"9. इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) सामान्य नियम का अपवाद है कि विचार किए बिना किया गया समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) एक ऐसे मामले पर लागू होती है जहां किसी व्यक्ति द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित

वादा किया जाता है कि उस पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऋण का भुगतान करने का आरोप लगाया जाए जो सीमा के कानून द्वारा निषिद्ध है। उप-द्वारा कवर किया गया वादा-धारा (3) इस तथ्य के बावजूद लागू करने योग्य समझौता बन जाती है कि यह एक ऋण का भुगतान करने का वादा है जो पहले से ही सीमा द्वारा प्रतिबंधित है। इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) लिखित में किए गए वादे पर लागू होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षरित होती है जिसे वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के कारण पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि कोई देनदार ऋण की वसूली के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद ऋण का पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में वादा करता है, तो उक्त वादा अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) द्वारा शासित होने के कारण एक समझौता बन जाता है जो कानून में लागू करने योग्य है। संविदा अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा शासित वादे के आधार पर, समयबद्ध ऋण लागू करने योग्य हो जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) उन सभी श्रेणियों के ऋणों का भुगतान करने के वादे पर लागू नहीं होती है जो कानून में लागू करने योग्य नहीं हैं। यह केवल एक ऋण पर लागू होता है जो केवल सीमा के कानून द्वारा बनाई गई सीमा के आधार पर कानून में वसूली योग्य नहीं है। इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत वादा एक ऋण को मान्य नहीं करेगा जो सीमा की सीमा के आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर लागू करने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि अनैतिक उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करने का वादा किया गया है जो अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रभावित है, तो यह अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) को आकर्षित नहीं करेगा और उक्त प्रावधान केवल तभी आकर्षित होगा जब लिखित रूप में वादा किया गया हो और ऋण का भुगतान करने के लिए प्रोमिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। xxxx xx xx xx

"1881 के उक्त अधिनियम की धारा 13 को पढ़ने पर, एक परक्राम्य साधन में उसमें उल्लिखित राशि का भुगतान करने का वादा होता है। वादा दराज द्वारा दिया गया है। उक्त अधिनियम 1881 की धारा 6 के तहत, एक चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय का बिल है। चेक का ड्रॉअर उस व्यक्ति से वादा करता है जिसके नाम पर चेक तैयार किया गया है या जिसे चेक का समर्थन किया गया है, कि इसकी प्रस्तुति पर चेक उसमें निर्दिष्ट राशि प्राप्त करेगा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि चेक अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर एक वादा है। इस प्रकार यह है कि जब कोई चेक पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए तैयार किया जाता है, तो एक ऋण जो केवल सीमा की सीमा के कारण लागू करने योग्य नहीं है, चेक अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा शासित एक वादे के बराबर है। ऐसा वादा जो एक समझौता है, सामान्य नियम का अपवाद बन जाता है कि विचार के बिना एक समझौता शून्य है। यद्यपि चेक जारी

करके ऐसा वायदा करने की तारीख को, जिस ऋण का भुगतान करने का वादा किया गया है, वह पहले से ही समय पर प्रतिबंधित हो सकता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) को ध्यान में रखते हुए, वादा / समझौता वैध है और इसलिए, यह लागू करने योग्य है। ए.वी. मूर्ति (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करने का वादा एक वैध अनुबंध बन जाता है। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देना होगा। xx

"धारा 118 के तहत, एक खंडन योग्य धारणा है कि प्रत्येक परक्राम्य साधन विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था। धारा 139 चेक धारक के पक्ष में एक खंडन योग्य धारणा बनाती है। अनुमान यह है कि चेक धारक को धारा 138 में उल्लिखित प्रकृति का चेक प्राप्त होता है, जो किसी भी ऋण या देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए होता है। इस प्रकार, उपरोक्त दो धाराओं के तहत, ऐसे खंडन योग्य अनुमान हैं जो विचार के अस्तित्व और इस तथ्य तक विस्तारित होते हैं कि चेक किसी भी ऋण या देयता के निर्वहन के लिए था।

xxxx xx xx xx

(20) पहले प्रश्न के उत्तर को रिकॉर्ड करते समय, हमने पहले ही कहा है कि ऋण के निर्वहन के लिए जारी किया गया चेक जो सीमा के कानून द्वारा निषिद्ध है, अपने आप में अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर एक वादा है। एक वादा एक समझौता है और ऐसा वादा जो अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) द्वारा कवर किया गया है, लागू करने योग्य अनुबंध बन जाता है बशर्ते कि यह अनुबंध अधिनियम के तहत अन्यथा शून्य न हो।

(21) इसलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय, हम विशेष रूप से समयबद्ध ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए गए चेक द्वारा बनाए गए वादे के मामले पर विचार कर रहे हैं। एक बार जब यह माना जाता है कि समयबद्ध ऋण के निपटान के लिए तैयार किया गया चेक एक वादा बनाता है जो लागू करने योग्य अनुबंध बन जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में तैयार किया गया है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। समयबद्ध ऋण या देयता के निर्वहन में निकाले गए चेक के रूप में किया गया वादा अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) के आधार पर लागू करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार, ऐसा चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन में तैयार किया गया चेक बन जाता है जैसा कि 1881 के उक्त अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण द्वारा विचार किया गया है। इसलिए, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हां में देना होगा।

(22) इसलिए, हम दोनों सवालों के जवाब हां में देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि इन आवेदनों/याचिकाओं को कानून के अनुसार निपटान के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। संदर्भ का जवाब दिया।

(14) इसी आशय का केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रामकृष्णन बनाम ***पार्थसारदी के मामले में*** [4]दिनांक 5-03-2003 को दिया गया निर्णय है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"1. क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत किसी मामले में आरोपी के लिए सीमा की दलील उपलब्ध है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस पुनरीक्षण याचिका में विचारार्थ उठता है, जिसे एक खंडपीठ को भेज दिया गया है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

xxxx xx xx xx

5. यह मामला एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पोस्ट किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि चेक जारी करने की तारीख पर, आरोपी "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता" के तहत नहीं था। यहां तक कि अगर पैसे की वसूली के लिए कोई दावा किया गया था, तो इसे सीमा द्वारा रोक दिया गया था। इस प्रकार, उसे अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं पाया जा सकता था। इस तर्क के समर्थन में, जोसेफ बनाम जोसेफ मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था। देवासिया 2000 (4) आरसीआर (आपराधिक) 686 (केरल); (2000 (3) केएलटी 533)। xxxx xx xx xx

(13) श्री बेनी गेरवाकिस को यह बताते हुए पीड़ा हो रही थी कि चेक केवल तभी निकाला जाता है जब वह लिखा और हस्ताक्षरित होता है। यदि चेक वास्तव में तैयार होने से पहले ही दावे को सीमा द्वारा रोक दिया जाता है, तो यह ऋण या देयता की पावती नहीं हो सकता है। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, यह सच है कि 'आरेखित करने' का अर्थ है लिखना और हस्ताक्षर करना। हालांकि, भले ही चेक की ड्राइंग की तारीख पर दावे को दूसरे व्यक्ति को डिलीवरी पर सीमा द्वारा रोक दिया गया हो, यह दूसरे समझौते के लिए एक वैध विचार बन जाता है। चेक का आहरण इस तरह के समझौते का सबूत है। यह पावती प्रवर्तनीय है। चेक की ड्राइंग और डिलीवरी एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता बनाती है। इस प्रकार, हमारी राय है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को चेक लिखता है, हस्ताक्षर करता है और वितरित करता है तो यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व की स्वीकृति है। इसके बाद, यदि धन की अपर्याप्तता के कारण चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति यह दलील देने का हकदार नहीं होगा कि चेक लिखते समय दावा सीमा द्वारा निषिद्ध हो गया था और इस प्रकार, वह धारा 138 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(14) श्री बेनी गेरवाकिस ने तर्क दिया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत परिसीमा की अवधि समाप्त होने से पहले पावती दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, सीमा समाप्त होने के बाद चेक निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, यह सीमा के विस्तार के बराबर नहीं हो सकता है।

[4] 2003 (3) आरसीआर (सीआरएल) 711

(15) वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, इस मामले में विस्तार से जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। हालांकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 25 (3) के तहत, एक वादा उस मामले में भी किया जा सकता है जहां राशि की वसूली के लिए सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसा वादा लिखित में होना चाहिए। यह चेक के रूप में हो सकता है। जब एक चेक आदाता को दिया जाता है, तो व्यक्ति बैंक को चेक प्रस्तुत करने और भुगतान की मांग करने का हकदार होता है। ऐसी स्थिति में, यदि चेक अनादरित होता है, तो धारा 138 के तहत दायित्व उत्पन्न होगा। अभियुक्त के लिए यह तर्क देने की अनुमति नहीं होगी कि दायित्व कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था। xxxx xx xx xx

(18) याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालतों ने लगातार यह विचार रखा है कि परिसीमा की याचिका आरोपी के लिए वैध बचाव के रूप में उपलब्ध है। विद्वान वकील ने निर्णयों का उल्लेख किया गिरधारी लाल राठी बनाम पी.टी.वी. रामानुजचारी और अनर। (1997 (2) अपराध 658), श्रीमती अश्विनी सतीश भट बनाम श्री जीवन दिवाकर, 2001(1) RCR (आपराधिक) 829 (बॉम्बे); (1999 डीसीआर 470) और सेफ वी। देवासिया 2000 (4) आरसीआर (आपराधिक) 686 (केरल); (2000 (3) केएलटी 533).

(19) हमने इन निर्णयों की जांच की है। अफसोस की बात है कि सम्मानपूर्वक ही सही, हम आंध्र प्रदेश और बंबई उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय मूल रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम पाते हैं कि संविदा अधिनियम की धारा 25 (3) और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 46 जैसे प्रासंगिक प्रावधानों को विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(20) इस संदर्भ में, यह उल्लेख करने योग्य है कि धारा 138 को मुख्य रूप से "देनदारियों के निपटान में चेक की स्वीकार्यता" को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून की पुस्तक में शामिल किया गया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि चेक के ड्रॉअर को "खातों में धन की अपर्याप्तता के कारण चेक के उछाल के मामले में दंड के लिए उत्तरदायी बनाया गया था...... यदि संविधि के इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है तो स्पष्टीकरण को उदारतापूर्वक नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब केवल यह होगा कि देयता या ऋण एक लेनदेन से उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो अवैध है। यह एक दांव अनुबंध के तहत देयता को पूरा करने के लिए चेक नहीं होना चाहिए जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होगा। अन्यथा, जिस उद्देश्य के साथ धारा 138 को अधिनियमित किया गया था, वह पराजित हो जाएगा।

xxxx xx xx xx

22. ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले पर एवी मूर्ति बनाम बीएस नागबासवन्ना (2002 (2) एससीसी 642) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा विचार किया गया था। निर्णय के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स

एक्ट के साथ-साथ संविदा अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया गया था। हालांकि, परिसीमा का मुद्दा खुला छोड़ दिया गया था। लेकिन उल्लेख करने योग्य बात यह है कि भले ही विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कार्यवाही को रद्द कर दिया था क्योंकि धन की वसूली में सीमा समाप्त हो गई थी और आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, फिर भी, उनके लॉर्डशिप ने फैसले को उलट दिया था। यह इस तथ्य का संकेत है कि अभियुक्त केवल इस तथ्य के कारण जुर्माना झेलने के दायित्व से बचने का हकदार नहीं था कि चेक जारी होने की तारीख से पहले राशि की वसूली की सीमा समाप्त हो गई थी। xxxx xx xx xx

25. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है। यह माना जाता है कि:

(1) जब कोई व्यक्ति चेक जारी करता है, तो वह भुगतान करने के लिए अपनी देयता को स्वीकार करता है। धन की अपर्याप्तता के कारण चेक बाउंस होने की स्थिति में वह यह दावा करने का हकदार नहीं होगा कि ऋण सीमा द्वारा निषिद्ध हो गया था और देयता इस प्रकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं थी। यदि उसके खिलाफ आरोप साबित हो जाता है तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जोसेफ के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून के सही सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में कायम नहीं रह सकता है। नतीजतन इसे खारिज कर दिया जाता है।

(15) सरूप सिंह *बनाम रतन सिंह (मृत)*[5] *के मामले में एलआर के माध्यम से* ***इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ*** ने 02.09.2015 को फैसला सुनाया, दिनेश बी. चोकसी के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे हाईकोर्ट के खंड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है। यद्यपि उक्त मामला सिविल कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, लेकिन कानून का प्रस्ताव, जैसा कि ***दिनेश बी चोकशी*** *के मामले* (*सुप्रा*) में प्रतिपादित किया गया था, दोहराया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"अपीलकर्ता-प्रतिवादी के वकील की यह दलील है कि प्रतिवादी-वादी के मुकदमे को सीमा द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि स्वीकार किए गए तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी-वादी द्वारा जनवरी, 2001 में अपीलकर्ता-प्रतिवादी को यह राशि इस दावे पर सौंपी गई थी कि वह एक ट्रैवल एजेंट था और उसने वादी के बेटे को विदेश भेजने का वादा किया था, जो विफल रहा और उसके बाद, अपने ऋण का निर्वहन करने के लिए, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने दिनांक 17-10-2007 को अपने खाता संख्या 279096 के साथ 8,00,000/- का चेक जारी किया था। एसबी -7325, बैंक ऑफ पंजाब, शाखा पर खींचा गया

[5] 2015 (4) आरसीआर 825

नवांशहर। उनका तर्क है कि चूंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादी को वर्ष 2001 में राशि दी गई है, इसलिए परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मुकदमा तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता था। यह मुकदमा 16.11.2009 को दायर किया गया था, जिस पर समय के अनुसार रोक लगा दी गई थी, इस पर विचार नहीं किया जा सकता था और इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

xxxx xx xx xx

"यह सही है कि प्रतिवादी वादी के दावे के अनुसार, राशि जनवरी, 2001 में अपीलकर्ता प्रतिवादी को सौंप दी गई थी, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी-वादी के मामले के अनुसार, चूंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादी अपने बेटे को विदेश भेजने में विफल रहा, इसलिए उसने अपने ऋण की स्वीकृति में 17.10.2007 को एक चेक जारी किया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(3) के प्रावधान के अनुसार, जो मुकदमा दायर किया गया है, उसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में कानून को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सही ढंग से सराहा गया है और लागू किया गया है। इस संबंध में रिलायंस ने ***दिनेश बी. चोकशी*** बनाम ***राहुल वासुदेव भट्ट और अन्य 2013 (2) सिविल कोर्ट मामलों 017 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 15 में दर्ज निष्कर्षों और टिप्पणियों पर ध्यान दिया।***
(बॉम्बे), जैसा कि पुन: प्रस्तुत किया गया है, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता के वकील ने **एवी मूर्ति बनाम बीएस नागबासवन्ना**, 2002 (1) आरसीआर (आपराधिक) 745 के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा है कि मुकदमा सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) गलत है। यह निर्णय उनके विरुद्ध जाता है जैसा कि इसके पैरा 5 में इस पहलू पर की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है, जहां वास्तव में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 की उप-धारा 3 का उल्लेख किया है और यह स्वीकार किया है कि देयता की अनुवर्ती स्वीकृति/स्वीकृति के आलोक में समयबद्ध ऋण भी लागू किए जा सकते हैं। यह विवादित नहीं है कि 17-10-2007 को चेक जारी किए जाने की तारीख से वाद सीमा के भीतर दायर किया गया है। इस प्रकार, मुकदमे के सीमा के भीतर होने के संबंध में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

(16) एवी मूर्ति ***बनाम*** *बीएस नागाबासवन्ना*[6] ***के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने*** दिनांक 8-02-2002 को निर्णय दिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 के तहत यह धारणा है कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक परक्राम्य साधन विचार के लिए तैयार किया जाता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

---

[6] 2002 (1) आरसीआर (सीआरएल) 745

"5...... अधिनियम की धारा 118 के तहत, एक धारणा है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक हर परक्राम्य साधन को विचार के लिए तैयार किया गया था। यहां तक कि अधिनियम की धारा 139 के तहत, यह विशेष रूप से कहा गया है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त किया है, जो किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत, व्यक्ति द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित एक वादा, या उसके एजेंट द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से उस संबंध में अधिकृत किया जाता है, जिसमें से लेनदार ने भुगतान लागू किया हो, लेकिन मुकदमों की सीमा के लिए कानून के लिए, वैध अनुबंध है"

(17) इसके अलावा, इस प्रस्ताव के संबंध में कि चेक का आहरणकर्ता चेक धारक से वादा करता है कि प्रस्तुति पर, उक्त चेक नकद में राशि प्राप्त करेगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैरा 17 को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"बीमा के अनुबंध में जब बीमित व्यक्ति प्रीमियम या प्रीमियम के हिस्से के भुगतान के लिए चेक देता है, तो ऐसे अनुबंध में पारस्परिक वादा होता है। चेक की ड्रॉअर बीमाकर्ता से वादा करती है कि चेक, प्रस्तुति पर, नकद में राशि प्राप्त करेगा। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय का बिल है। विनिमय का बिल लिखित में एक लिखत होता है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाला बिना शर्त आदेश होता है। इसमें एक वादा शामिल है कि इस तरह के पैसे का भुगतान किया जाएगा।

(18) विजय गणेश गोंधलेकर ***बनाम*** *इंद्रनील जयराज*[7] *दमाले* ***के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच)*** ने संविदा अधिनियम की धारा 25(3) और परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों पर विचार करते हुए 4-10-2007 को निर्णय दिया था: -

"7. तर्क के लिए यह मानते हुए कि सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले कोई पावती नहीं थी और चेक सीमा की समाप्ति की अवधि के बाद जारी किया गया है, फिर भी विचार करना होगा कि क्या कोई लागू करने योग्य दायित्व है या नहीं। मैंने पहले ही ऊपर देखा है कि देय राशि डालने के बाद देनदार के हस्ताक्षर के तहत चेक जारी किया जाता है। चेक बैंक को चेक में उल्लिखित धारक राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। इस प्रकार यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(3) के अर्थ के अंतर्गत आदाता के पक्ष में किया गया वचन बन जाता है। एक बार जब यह एक नया वादा बन जाता है, तो चेक की तारीख से 3 साल की सीमा की नई अवधि शुरू हो जाएगी। इसलिए देयता निश्चित रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व होगी।

---

[7] 2008 (1) आरसीआर (सीआरएल) 530

(19) यहां तक कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एन. ***एथिराजुलु नायडू*** *बनाम* ***केआर चिन्नीकृष्णन चेट्टियार***[8] नामक मामले में 02.08.1974 को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) दोनों पर विचार करते हुए निर्णय दिया था: -

'परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 के तहत एक पावती और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर एक वादे के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के पास सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु बनाने का प्रभाव है, यदि वे पार्टी या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित हैं। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के तहत वैध होने के लिए एक पावती सीमा की अवधि की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए, अनुबंध अधिनियम की धारा 25, उप-धारा (3) के तहत ऋण का भुगतान करने का वादा तब किया जा सकता है जब ऋण सीमा द्वारा प्रतिबंधित हो गया हो।

(20) यद्यपि उपर्युक्त मामला चेक जारी करने के संबंध में किसी मामले से संबंधित नहीं था, लेकिन परिसीमा अधिनियम की धारा 18 और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों पर विचार किया गया और उनके बीच एक अंतर निकाला गया जिसे उपर्युक्त पुनरुत्पादन में उजागर किया गया है।

(21) इससे पहले कि यह न्यायालय पहले दो मुद्दों के बारे में अपनी अंतिम राय दे, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा।

(22) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए पहले फैसले के संबंध में, जो कि ***गिरधारी लाल राठी*** के *मामले (सुप्रा) में पारित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय है,* यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि रामकृष्णन के ***मामले (सुप्रा)*** *में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस पर विचार किया गया* था और उसमें लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। इसके अलावा, उक्त निर्णय में, [8] न तो धारा 25 (3) के प्रावधानों और न ही अनुबंध अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया गया। इस प्रकार, उक्त निर्णय को विचाराधीन प्रस्ताव पर एक अधिकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि संबंधित प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है। उक्त फैसले के अन्य पहलू जो धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर वर्तमान याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से उक्त फैसले को अप्रासंगिक बनाते हैं, पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पारित किया गया था और इस प्रकार पूरा मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका था। जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 4 से स्पष्ट है, उक्त मामले में ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा था कि आरोपी ने अपीलकर्ता को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए अपनी देयता के निर्वहन में चेक जारी किया था और चेक जो कथित तौर पर जारी किया गया था, यह उस समय जारी किया गया

[8] 1975 आकाशवाणी (मद्रास) 333

था जब आरोपी ने पहले ही अपना बैंक खाता बंद कर दिया था। यहां तक कि ऋण को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में पैरा 7 में की गई टिप्पणियां भी सकारात्मक शब्दों में नहीं थीं, क्योंकि यह कहा गया था कि "*ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण को सीमा द्वारा रोक दिया गया है*"। इसके अलावा, यह दोहराया जाता है कि उक्त मुद्दा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द करने के मामले में नहीं था, बल्कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील में से एक था।

(23) श्रीमती अश्विनी सतीश भट के मामले (सुप्रा) में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ***के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के संबंध*** *में, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उक्त निर्णय पर रामकृष्णन के मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भी विचार किया गया था* (सुप्रा)(और डिवीजन बेंच ने उसमें लिए गए दृष्टिकोण से सहमति नहीं जताई थी। इसके अलावा, उसी न्यायालय की खंडपीठ अर्थात बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ***दिनेश बी चोकसी के मामले*** *(सुप्रा*) में श्रीमती अश्विनी सतीश भट *के मामले* (***सुप्रा****) में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था* । इसके अलावा, डिवीजन बेंच का निर्णय वर्ष 2012 का था, जो ***श्रीमती अश्विनी सतीश भट के*** *मामले (*सुप्रा) में फैसले *के* बाद था, जो वर्ष 1999 का था। इस मुद्दे के संबंध में। इस प्रकार, उक्त निर्णय को कानून के किसी भी आधिकारिक प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस तथ्य को उजागर करने के लिए उक्त निर्णय में कुछ अन्य कारकों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि यह वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उक्त मामला पूरा मुकदमा खत्म होने के बाद बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील से उत्पन्न मामला था। उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा था कि विचाराधीन चेक कानूनी रूप से लागू ऋण के संबंध में था और यह भी पाया कि इस बात पर संदेह उठाया गया था कि क्या विचाराधीन चेक आरोपी द्वारा लिखा गया था और इस प्रकार, संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया था। इसके अलावा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त मामले में, हालांकि राशि का भुगतान 13.06.1991 के समझौते के तहत किया गया था, लेकिन एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके भीतर राशि का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार, उक्त मामले में सीमा का प्रारंभिक बिंदु स्पष्ट था। इसके अलावा, उक्त मामला सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला नहीं था।

(24) एकल पीठ के निर्णय के संबंध में नरेंद्र बनाम कानेकर के मामले ***(सुप्रा) में*** *गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट*, ***जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि*** *दिनेश बी. चोकसी* के *मामले* (सुप्रा) में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के ***बाद नरेंद्र*** *बनाम* नरेंद्र *मामले* ***में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। कानेकर*** *का मामला* (*सुप्रा*)। उक्त निर्णय में यद्यपि

संविदा अधिनियम की धारा 25(3) के प्रावधानों पर विचार किया गया है लेकिन संविदा अधिनियम और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अन्य संगत प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है और धारा 25(3) के संबंध में विचार न तो विस्तार से है और न ही सही परिप्रेक्ष्य में है। यह दिखाने के लिए अन्य कारकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान निर्णय वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां तक कि उक्त मामला धारा 482 सीआरपीसी के तहत उत्पन्न होने वाली याचिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मामला था जहां दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में, मुकदमा पहले ही हो चुका था और यह तथ्य कि विचाराधीन चेक सीमा की तारीख से परे जारी किए गए थे, विवाद में नहीं था। ***नरेंद्र वी. कानेकर के*** *मामले* (*सुप्रा*) में फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"6. दृष्टांतों (ई) का संदर्भ संदर्भ से बाहर नहीं होगा। यह इस प्रकार है: -

(ङ) A पर B का 1000/- रुपये बकाया है, लेकिन परिसीमा अधिनियम द्वारा ऋण निषिद्ध है। A ऋण के कारण B को रु.500/- देने के लिखित वचन पर हस्ताक्षर करता है। यह एक अनुबंध है।

7. याचिकाकर्ता/अभियुक्त की ओर से विद्वान वकील श्री पडियार ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन चेक सीमा की अवधि से परे जारी किए गए थे और अन्यथा सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले लिखित में ऋण की कोई स्वीकृति नहीं थी।

(25) इस न्यायालय ने उपर्युक्त प्रावधानों के साथ-साथ इस बिंदु पर दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है। संविदा अधिनियम की धारा 2, 10, 23 और 25 से 30 को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जब कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो वह एक वादा बन जाता है, और कुछ करने का वादा एक समझौता होगा, और कानून में लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है और जो लागू करने योग्य नहीं है वह शून्य हो जाएगा। अनुबंध अधिनियम के तहत, शून्य समझौतों की कई श्रेणियां हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत, यदि किसी समझौते का विचार या उद्देश्य कानून द्वारा निषिद्ध है या अनैतिक है, तो उस कारण से समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 26 के तहत, नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह पर रोक लगाने वाला हर समझौता शून्य है। अनुबंध अधिनियम की धारा 27 व्यापार के संयम में समझौतों और उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत वे शून्य हो जाएंगे। अनुबंध अधिनियम की धारा 29 अनिश्चितता के लिए शून्य समझौतों से संबंधित है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) विशेष रूप से समयबद्ध ऋण के प्रवर्तन पर रोक के संबंध में एक अपवाद प्रदान करती है। उक्त धारा 25(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक वादा जो लिखित रूप में किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, उस पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऋण का भुगतान करने का आरोप लगाया गया है,

जिसे सीमा के कानून के कारण लागू नहीं किया जा सकता था, लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के आधार पर, एक ऋण जो समयबद्ध हो गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) की सामग्री को पूरा करने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। चेक के मामले में, चेक का ड्रॉअर वास्तव में उस व्यक्ति से यह वचन देता है जिसके पक्ष में चेक निकाला जाता है कि प्रस्तुति होने पर, उसका सम्मान किया जाएगा और जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया गया है, उसे चेक में उल्लिखित नकद राशि का लाभ मिलेगा। इस प्रकार, लिखित में एक चेक, जिस पर इसे जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के दायरे में आएंगे ताकि चेक तैयार होने की तारीख पर ऋण को कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार, यहां तक कि यदि चेक तैयार किया गया है, उस तारीख के बाद भी जब ऋण समयबद्ध हो गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त चेक अपने आप में एक वादा करेगा जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध बन जाएगा और तब यह नहीं कहा जा सकता है कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में तैयार किया गया है, जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य न हो । इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ***दिनेश बी चोकशी के*** *मामले* (*सुप्रा*) के साथ-साथ निम्नलिखित में लिए गए दृष्टिकोण का संदर्भ दिया जा सकता है। रामकृष्णन के ***मामले*** (सुप्रा) *में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ* जिसके साथ यह न्यायालय पूरी तरह से सहमत है।

(26) परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक अभिस्वीकृति और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ के भीतर एक वादे के बीच अंतर के **संबंध में, यह न्यायालय** एन एथिराजुलु नायडू के मामले (सुप्रा) *में* मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई *टिप्पणियों और विजय गणेश गोंधलेकर* के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) (*सुप्रा*) की टिप्पणियों से सहमत है, को ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है और माना गया है कि दोनों प्रावधानों में सीमा का एक नया प्रारंभिक बिंदु बनाने का प्रभाव है, यदि वे लिखित रूप में हैं और पार्टी या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत वैध होने के लिए एक पावती सीमा की अवधि की समाप्ति से पहले की जानी चाहिए, जबकि, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत ऋण का भुगतान करने का वादा, ऋण की समय-सीमा समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। उक्त पहलू पर यहां तक कि ***नरेंद्र वी. कानेकर के*** मामले (*सुप्रा*) में फैसला, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मजबूत करता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"...... इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार, सीमा की अवधि की समाप्ति से पहले लिखित रूप में की गई देयता की हस्ताक्षरित पावती, सीमा की एक नई अवधि शुरू करने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह, जब कोई ऋण सीमा द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है, तो अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) भी होती है, जिसके द्वारा, भुगतान करने का

लिखित वादा, कार्रवाई का एक नया कारण प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 का खंड (3) मूल रूप से एक मृत अधिकार को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं है, क्योंकि अधिकार किसी भी समय कभी मरा नहीं है, बल्कि मुकदमे द्वारा भुगतान को लागू करने के उपाय को पुनर्जीवित करने के लिए है, और यदि भुगतान को मुकदमे द्वारा लागू किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का चरित्र है जैसा कि अधिनियम की धारा 138 के नीचे स्पष्टीकरण द्वारा विचार किया गया है। एक्ट करें...'

(27) यहां तक कि परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अवलोकन से भी पता चलेगा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधान को हटाने के लिए न तो इसमें कोई *गैर-बाध्यकारी* खंड है, न ही किसी नकारात्मक शब्दावली का उपयोग किया गया है। बल्कि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (1) विशेष रूप से प्रावधान करती है कि परिसीमा अधिनियम में कुछ भी अनुबंध अधिनियम की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"29. बचत। (1) इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगी।

(28) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और 139 के प्रावधान, निगोशिएबल लिखत के पक्ष में एक अनुमान लगाते हैं, हालांकि खंडन योग्य हैं, कई कारकों के रूप में, जिनमें विचार का कारक आदि शामिल है और यह तथ्य भी है कि चेक का धारक नियत समय में धारक है और किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए चेक रखता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया गया है और धारा 143 ए और 148 को जोड़ा गया है। उक्त प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"143 ए। अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति --- (1)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, धारा 138 के तहत अपराध की कोशिश करने वाला न्यायालय चेक के दराज को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दे सकता है-

(अ)सारांश परीक्षण या समन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं है; और

(आ) किसी भी अन्य मामले में, आरोप तय होने पर।

(दो) उपधारा (1) के तहत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(तीन) अंतरिम मुआवजे का भुगतान उपधारा (1) के तहत आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा, या ऐसी और अवधि के भीतर जो तीस दिनों से अधिक नहीं होगा, जैसा कि चेक के ड्रॉअर द्वारा दिखाए जा रहे पर्याप्त कारण पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(चार) यदि चेक की आहरणकर्ता को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की राशि लौटाने का निर्देश देगा। या ऐसी और अवधि के भीतर जो तीस दिनों से अधिक न हो, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिखाए जा रहे पर्याप्त कारण पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(पाँच) इस धारा के तहत देय अंतरिम मुआवजे को इस तरह वसूल किया जा सकता है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के तहत जुर्माना था।

(छः) धारा 138 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के तहत दिए गए मुआवजे की राशि, इस धारा के तहत अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान या वसूली गई राशि से कम हो जाएगी। xx

"148. अपीलीय न्यायालय की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित होने तक भुगतान का आदेश देने की शक्ति। (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध दराज द्वारा अपील में, अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है *जो* ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत देय राशि धारा 143 ए के तहत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी।

(दो) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जमा की जाएगी जो अपीलकर्ता द्वारा दिखाए जा रहे पर्याप्त कारण पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिनों से अधिक न हो।

(तीन) अपीलीय न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि जारी करने का निर्देश दे सकता है:

परन्तु यदि अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को निर्देश देगा कि वह अपीलकर्ता को इस प्रकार जारी की गई राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ, जो संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रचलित है, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिनों से अधिक न हो, चुकाने का निर्देश देगा। शिकायतकर्ता द्वारा।

(29) उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 143 ए के अनुसार, अदालत आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले और धारा 148 के मामले में अपील पर फैसला होने से पहले ही अंतरिम मुआवजा जमा करने की मांग कर सकती है। इस प्रकार, विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है, जो एक ऐसे व्यक्ति में विश्वास पैदा करना है जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है, कि जिस व्यक्ति ने उक्त चेक जारी किया है, वह अपनी देयता से बचने / बचने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, मुद्दे संख्या 1पर विचार करते समय। (i) और (ii) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के संपूर्ण उद्देश्य, जिसमें इसमें किए गए संशोधन भी शामिल हैं, को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने वाली व्याख्या दी जानी चाहिए।

(30) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में रहना जिसने ऋण की समय-सीमा समाप्त होने के बाद जानबूझकर चेक जारी किया है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय करने के समान होगा जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है और यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के इरादे और उद्देश्य को भी पराजित/कुंठित करेगा। ऋण की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, उसके बाद चेक जारी करने वाला कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति से वादा करता है जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है, कि उक्त चेक का सम्मान किया जाएगा। अनादर होने पर, जिस व्यक्ति को चेक जारी किया गया है, उसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उपाय को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा। जब तक समन जारी करने का आदेश आदि जारी किया जाता और आरोपी व्यक्ति द्वारा मामले को उत्तेजित किया जाता, तब तक काफी समय बीत चुका होता। ऐसी स्थिति में, यदि प्रस्ताव आरोपी व्यक्ति के पक्ष में दिया जाता है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को केवल सीमा की दलील के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया गया है, उसे निराश छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति का अनुचित लाभ होगा, जो उक्त चेक जारी करके झूठे वादे पर मामले को लटकाने में कामयाब रहा है।

(31) इस प्रकार, संगत प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयों के मुद्दों पर विचार करने के बाद सं 2011-12 के मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों पर विचार किया गया। (i) और (ii) में यह न्यायालय निर्णायक रूप से यह व्यवस्था देता है कि समयबद्ध ऋण के पुनर्भुगतान में चेक जारी करना संविदा अधिनियम की धारा 25(3) के अर्थ के भीतर उक्त ऋण का भुगतान करने के लिखित वायदे के समान है और उक्त वायदा अपने आप में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता का सृजन करेगा, जैसा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 द्वारा विचार किया गया है। इस प्रकार, मुद्दा सं. (i) और (ii) का उत्तर उस व्यक्ति के पक्ष में दिया जाता है जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है। इस प्रकार, केवल उक्त निष्कर्ष पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की पहली दलील को खारिज कर दिया जाता है।

<u>मुद्दा सं 2004 पर विचार। (iii)</u>

(32) मुद्दा सं. (iii) उपर्युक्त निम्नानुसार है

क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य होगी?

(33) "एस नटराजन ***बनाम*** *सामा धर्मन और अन्य"*[9] ***मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय।***दिनांक 25.07.2012 को निर्णय लिया गया और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 11.09.2015 को सोम नाथ ***बनाम*** *मुकेश कुमार*[10] ***नामक*** निर्णय में कहा कि ऋण को समय से रोक दिया गया था या नहीं, यह केवल साक्ष्य जोड़ने के बाद ही तय किया जा सकता है क्योंकि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। इस प्रकार, मामले में भी, मुद्दा संख्या 10 है। (i) और (ii) को याचिकाकर्ता के पक्ष में माना जाता है, तो पहले तर्क के संबंध में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका को उपरोक्त दो निर्णयों में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव के कारण खारिज कर दिया जाएगा। ***एस. नटराजन के*** *मामले* (*सुप्रा*) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"1. अनुमति दी गयी गई। अपीलकर्ता 2011 के सी.सी. नंबर 250 में शिकायतकर्ता है। यह उनका मामला है कि 6/5/2006 को, प्रतिवादियों/अभियुक्तों ने उनसे 49,000/- रुपये की राशि प्राप्त की थी। दिनांक 4-7-2006 को उन्हें 1,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। उसी दिन, उन्हें 1,00,000/- रुपये की एक और राशि प्राप्त हुई। अपीलकर्ता का यह भी मामला है कि 11/1/2007 को अभियुक्तों को 50,000/- रुपये प्राप्त हुए और बाद में उन्हें 1,000/- रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार, शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी द्वारा कुल 3,00,000 रुपये की राशि प्राप्त की गई है। अपीलकर्ता के अनुसार, उक्त ऋण का निर्वहन करने के लिए, अभियुक्त नंबर 1 ने दिनांक 1/2/2011 को एक चेक दिया। अपीलकर्ता ने 2/2/2011 को अपने बैंक के माध्यम से भुगतान के लिए उक्त चेक प्रस्तुत किया। उक्त चेक इस आधार पर बाउंस हो गया था कि आरोपियों के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी। करूर वैश्य द्वारा जारी दिनांक 12/2/2011 के ज्ञापन की एक प्रति
बैंक लिमिटेड अनुबंध पी -1 में रिकॉर्ड पर है। xxxx xx xx xx

6........ उच्च न्यायालय ने तब कहा कि उस समय से चेक जारी करने के संबंध में अर्थात 1-2-2011 को अभियुक्तों के कथित ऋण पर समय-सीमा लग गई थी, कार्यवाही रद्द किए जाने के योग्य है।

7. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर शिकायत को रद्द करने में गलती की कि ऋण या देयता को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और इसलिए, आरोपी के खिलाफ कोई

---

[9] 2015 (2) आरसीआर (सीआरएल) 854

[10] 2015 (8) आरसीआर (सीआरएल) 599

कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं थी। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला ऐसी प्रकृति का नहीं था जो उच्च न्यायालय को इस स्तर पर इस तरह के एक निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए राजी कर सकता था। कर्ज पर समय सीमा थी या नहीं, इसका फैसला सबूत मिलने के बाद ही किया जा सकता है, यह कानून और तथ्य का मिश्रित सवाल है। xxxx xx xx xx

(10) हमारी राय में, इसलिए, उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था कि चेक जारी करते समय, ऋण समयबद्ध हो गया था और इसलिए, शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि में पड़ गया।

(11) परिणामस्वरूप, दिनांक 25-07-2012 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। ट्रायल कोर्ट मामले के साथ आगे बढ़ेगा।

(12) अपील को पूर्वनिर्धारित शर्तों में अनुमति दी जाती है।

(34) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था कि ऋण समय पर प्रतिबंधित था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था।

(35) सोमनाथ के ***मामले*** *(सुप्रा) में समन्वय पीठ के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा* नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"6. शिकायतकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में, अपने प्रारंभिक साक्ष्य का नेतृत्व किया और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है। याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि विचाराधीन चेक उसके द्वारा हस्ताक्षरित/जारी नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा चेक जारी किया गया था, यह धारणा की ओर जाता है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है। हालांकि, उक्त अनुमान खंडन योग्य है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रमुख साक्ष्य द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है। इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर कोई सबूत होने के बिना, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किया गया चेक एक ऋण या देयता के संबंध में था जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई इस दलील में कहा गया है कि विचाराधीन चेक एक समयबद्ध ऋण के कारण जारी किया गया था, जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा तब विचार किया जा सकता है जब पक्ष अपनी-अपनी याचिकाओं के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। हालांकि, इस स्तर पर, यह मानकर कि विचाराधीन चेक एक समयबद्ध ऋण के साथ जारी किया गया था, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना उचित और समीचीन नहीं होगा। शिकायतकर्ता को अभी अपने मामले के समर्थन में अपने साक्ष्य पेश करने हैं। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता को ट्रायल

कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाएगा, लेकिन आपराधिक कार्यवाही को उसी सीमा पर रोकना न्याय के हित में नहीं होगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***ने एस. नटराजन*** बनाम ***सामा धर्मन 2015 (2) आर.सी.आर.***(सी.आर.) 854 मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

7. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर शिकायत को रद्द करने में गलती की कि ऋण या देयता को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और इसलिए, आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं थी। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला ऐसी प्रकृति का नहीं था जो उच्च न्यायालय को इस स्तर पर इस तरह के एक निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए राजी कर सकता था। कर्ज पर समय सीमा थी या नहीं, इसका फैसला सबूत मिलने के बाद ही किया जा सकता है, यह कानून और तथ्य का मिला-जुला सवाल है।

xxxx xx xx xx

(10) हमारी राय में, इसलिए, उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था कि चेक जारी करते समय, ऋण समयबद्ध हो गया था और इसलिए, शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि में पड़ गया।

(11) परिणामस्वरूप, दिनांक 25/7/2012 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। निचली अदालत मामले में आगे बढ़ेगी।

(8) सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए
एस. नटराजन के मामले (सुप्रा), याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले याचिकाकर्ता के मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहते हैं।

(9) इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

(36) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि समयबद्ध ऋण की याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल तभी विचार किया जा सकता है जब पक्षों ने अपनी संबंधित याचिकाओं के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हों। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किसी भी फैसले का हवाला नहीं दिया गया है, जिसमें समयबद्ध ऋण की उक्त याचिका के आधार पर, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका पर विचार किया गया है, बहुत कम अनुमति दी गई है। इस प्रकार, मुद्दा सं. (iii) याचिकाकर्ता के विरुद्ध भी निर्णय लिया जाता है।

<u>मुद्दा सं 2004 पर विचार। (iv)</u>

मुद्दा सं. (iv) उपर्युक्त निम्नानुसार है

"क्या वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि सीमा की अवधि का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि चेक सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया गया था?

(37) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के वकील यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि सीमा की अवधि का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कोई सार्थक तर्क नहीं दिया गया है और यहां तक कि उनके तर्क के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा संख्या (i), (ii) और (iii) पर निर्णय लिया गया है, इसलिए इस न्यायालय को मुद्दे संख्या 12के संबंध में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। (iv)

(38) अधिनियम की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता को कानूनी नोटिस जारी न किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के वकील की दूसरी याचिका के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समन आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी द्वारा अपने हलफनामे के अलावा प्रदर्श.सी1 से प्रदर्श.सी6 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। उक्त सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए हैं। यहां तक कि कानूनी नोटिस जिसे प्रदर्श.सी3 बताया गया है, उसे भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है। वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा उठाए गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह बताने में सक्षम नहीं थे कि प्रदर्श.सी6 क्या है। यहां तक कि शिकायतकर्ता का हलफनामा भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी सामग्री के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, इस न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता को कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था। कानूनी नोटिस Ex.C3 यह पता लगाने के लिए बहुत प्रासंगिक होता कि उसी में किस पते का उल्लेख किया गया था। हालांकि, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायत में उल्लिखित पता वही है जो वर्तमान याचिका में उल्लिखित है। संदर्भ के लिए, शिकायत में उल्लिखित पते को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"सुल्तान सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, निवासी वीपीओ उमरी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।

a. वर्तमान याचिका में उल्लिखित पते को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

सुल्तान सिंह उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र श्री दयाल सिंह निवासी वीपीओ उमरी, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा/

b. शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि उसी के पैराग्राफ 5 और 6 में, शिकायतकर्ता द्वारा विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि चेक बाउंस होने के बाद, शिकायतकर्ता ने आरोपी से संपर्क किया और उसे चेक बाउंस होने के बारे में बताया और उससे भुगतान करने का अनुरोध किया लेकिन याचिकाकर्ता ने बिना किसी उचित कारण और बहाने के चेक का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया था। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि श्री एमके

शर्मा, अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.08.2019 का कानूनी नोटिस आरोपी/याचिकाकर्ता को दिया गया था और इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया था।

c. याचिकाकर्ता के वकील ने चेक जारी करने या उस पर हस्ताक्षर करने पर विवाद करने की मांग नहीं की है। इसके अलावा, यह तथ्य कि क्या अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस याचिकाकर्ता को दिया गया था या नहीं, तथ्य का एक विवादित सवाल है, जिसे केवल मुकदमे के दौरान ही देखा जा सकता है, जब गवाहों से पूछताछ और जिरह की गई है और दस्तावेजों को उक्त गवाहों के सामने रखा गया है। यहां तक कि दस्तावेज अनुलग्नक पी -3 से भी, यह किसी भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को सेवा नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह दिखाने के लिए किसी भी फैसले का हवाला नहीं दिया गया है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को कार्यवाही को रद्द करने के लिए विचार किया जा सकता है जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हों। एक बार चेक जारी हो जाने के बाद, यथासमय, यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋण के निर्वहन के लिए इसे जारी किया जा रहा है और परीक्षण के दौरान इसका खंडन किया जाना है। यहां तक कि ***आरएल वर्मा के मामले*** *(सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उक्त प्रस्ताव पर उद्धृत किया गया है, जो याचिकाकर्ता के मामले को दूर-दूर तक आगे नहीं बढ़ाता है।*

d. उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

(1). याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.05.2017 के फैसले को लागू किया जिसके तहत अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें 10.03.2017 को दोषी ठहराए जाने और 20.03.2017 को सजा पर आदेश जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था।

(2) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश होता है, अन्य बातों के साथ-साथ तर्क देता है कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत वैधानिक नोटिस न तो सही पते पर संबोधित किया गया था और न ही याचिकाकर्ता को दिया गया था।

(3) यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने 31.03.2009 को एक अप्रकाशित पत्र द्वारा ऋण की कथित पावती पर भरोसा किया था, जिसे Exh.CW1/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पावती में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पत्राचार का पता ए -123, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व), नई दिल्ली था।

(4) उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीडब्ल्यू -1/5 प्रदर्शित वैधानिक नोटिस उक्त कथित पावती (प्रदर्शएच सीडब्ल्यू 1/2) में उल्लिखित पत्राचार पते को संबोधित नहीं किया गया था, बल्कि डॉ गोपाल दास बिल्डिंग, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली को भेजा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

उक्त इमारत याचिकाकर्ता के परिवार द्वारा प्रवर्तित एक इमारत थी, हालांकि, वैधानिक नोटिस की तारीख तक उक्त इमारत में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई जगह नहीं थी।

(5) उन्होंने आगे कहा कि पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए नोटिसों को वापस भेज दिया गया था और शिकायतकर्ता द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और लौटाए गए लिफाफे को सीडब्ल्यू -1/8 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिस पर "लेफ्ट" का समर्थन था। xxxx xx xx xx

(8) याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अपनी जिरह में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह याचिकाकर्ता से कभी नहीं मिला था या बाराखंभा रोड के पते पर याचिकाकर्ता के साथ पत्राचार नहीं किया था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत में कथित पावती में उल्लिखित पत्राचार पते को याचिकाकर्ता के दूसरे पते के रूप में उल्लिखित किया गया है और याचिकाकर्ता को केवल दूसरे पते पर समन दिया गया था।

(9) उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सी.सी. अलवी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद एंड और अन्य, एआईआर 2007 एससी (सपल) 705 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करके गलती की। उनका कहना है कि उक्त निर्णय केवल उस मामले में लागू होगा जब नोटिस को सही ढंग से संबोधित किया गया था। माना जाता है कि वर्तमान मामले में नोटिस एक गलत पते पर भेजा गया था जिस पर याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था।

(10) वह मेसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड बनाम के. गोपाल कृष्णैया, (2014) 12 एससीसी 685 के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि नोटिस की सेवा का अनुमान केवल तभी उत्पन्न होगा जब नोटिस को सही तरीके से संबोधित किया गया हो। xxxx xx xx xx

12. वैधानिक कानूनी नोटिस याचिकाकर्ता को निम्नानुसार संबोधित किया जाता है: -

"आरएल वर्मा एंड संस (एचयूएफ)
अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से
श्री ध्रुव वर्मा
डॉ. गोपाल दास बिल्डिंग
28 बाराखंभा रोड
नई दिल्ली - 110065"

13. याचिकाकर्ता का पता बताते हुए विषय शिकायत दर्ज की गई है:

(1) आर.एल. वर्मा एंड संस (एचयूएफ)
अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से
श्री ध्रुव वर्मा
डॉ. गोपाल दास बिल्डिंग 28
बाराखंभा रोड

नई दिल्ली - 110001

(2) यह भी पढ़ें:-

ए -123, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व) नई दिल्ली - 110065।

14. यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता को समन केवल शिकायत में उल्लिखित दूसरे पते पर दिया गया था यानी ए -123, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में। xx

20......यहां तक कि अपनी जिरह में, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह कानूनी नोटिस में उल्लिखित पते पर आरोपी से नहीं मिला था और न ही उसने उक्त पते पर उससे पत्राचार किया था।

(21) रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत में भी कहा था कि वैधानिक नोटिस वितरित नहीं किया गया था और तदनुसार शिकायत के साथ वैधानिक नोटिस वाले लौटाए गए लिफाफे को संलग्न किया था।

(22) नोटिस की सेवा की कानूनी धारणा केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब नोटिस को सही ढंग से संबोधित किया गया हो। यदि नोटिस को गलत तरीके से संबोधित किया गया है, तो कोई कानूनी अनुमान उत्पन्न नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के लेटरहेड को संलग्न किया था जिसमें वैधानिक नोटिस में उल्लिखित पता था, लेकिन पत्राचार के पते में विशेष रूप से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पते का उल्लेख किया गया था।

(23) शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता का कोई कार्यालय था या वह बाराखंभा रोड पर पाया गया था, जैसा कि वैधानिक नोटिस में उल्लेख किया गया है।

xxxx xx xx xx

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में वैधानिक नोटिस की कोई सेवा नहीं थी और वैधानिक नोटिस की सेवा की धारणा भी वर्तमान मामले के तथ्यों में नहीं उठती है क्योंकि नोटिस को सही तरीके से संबोधित नहीं किया गया था।

(43) उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि वास्तव में उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में होने की तुलना में उसके खिलाफ अधिक है। उक्त निर्णय एक ऐसे मामले में दिया गया था जहां अपीलीय न्यायालय ने दोषी ठहराए जाने और सजा के आदेश को लागू करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया था और इस प्रकार, उक्त निर्णय ट्रायल पूरा होने और साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद दिया गया था। उक्त निर्णय में, यह विशेष रूप से देखा गया था कि अधिनियम की धारा 138 के तहत वैधानिक नोटिस में उल्लिखित पता सही नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उस पावती पर भरोसा किया गया था, पत्राचार पते का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था और उक्त पते पर वैधानिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। जिरह के दौरान भी याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह आरोपी से उस पते पर नहीं मिला था जहां नोटिस जारी किया गया था। इस निर्णय में ***मैसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड*** *बनाम* ***के.***

गोपालकृष्णैय्या[11] *के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया था* जिसमें यह माना गया था कि नोटिस की सेवा की धारणा केवल उस मामले में उत्पन्न होगी जहां नोटिस को सही तरीके से संबोधित किया गया है। उक्त पृष्ठभूमि में यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान मामले में, कानूनी नोटिस और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नोटिस जारी किए जाने की धारणा तब उत्पन्न होगी जब सांविधिक नोटिस में उल्लिखित पता सही हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क नहीं दिया गया है कि कानूनी नोटिस पर पता सही नहीं था। किसी भी दर पर, उक्त मुद्दा तथ्य के विवादित प्रश्न में से एक होगा और इस आधार पर, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है और साक्ष्य का नेतृत्व करने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसी बिंदु को उत्तेजित किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील की दूसरी दलील भी खारिज कर दी जाती है।

(44) इस प्रकार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रभात किरण प्रसाद,
(अनुवादक)

[11] (2014) 12 SCC 685